न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्रसोनी आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामलाल पुत्र छोगारामजी जाति विश्नोई निवासी भादरूणा तहसील सांचोर जिला जालोर, पूर्व उचित मुल्य दुकानदार भादरूणा		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 01/2019

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

....

पक्षकारान :-

1-श्री जगदीश गोदारा/पारसमल बराडा वकील अपीलान्ट।

2-जिला रसद अधिकारी,जालोर

निर्णय

दिनांक:-28.02.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2016 अनवान सरकार बनाम रामलाल पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी (भादरूणा) में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलांट अधिकृत खुदरा विक्रेता उचित मूल्य दुकान भादरूणा तहसील साचौर में आवंटन की हुई है व पिछले 5 वर्षो से उक्त दुकान को चला रहा है दिनांक 22.04.2016 को मौके पर जांच की जाकर प्रवर्तन निरीक्षक सांचोर द्वारा एक निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2016 को जिला रसद अधिकारी जालोर को पेश कर उक्त डीलर द्वारा बरती गई अनियमितताओं के लिये डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने बाबत निवेदन किया था। दिनांक 18.05.2016 को उक्त प्रकरण की तारीख पेशी थी, डीलर द्वारा जिला रसद अधिकारी जालोर के समक्ष दिनांक 16.5.2016 को उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का जबाब दिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य हेतु समय न देकर दिनांक 26.12.2016 को निर्णय पारित कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के खण्ड 6, 20 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 8, 10, 15 व 17 (ग) का उल्लंघन करना पाया गया तथा डीलर के स्तर पर बरती गई अनियमितता के लिए डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि 1000/- रूपये जब्त सरकार कर प्रकरण का निर्णय किया गया उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट के वकील ने व्यक्त किया कि दिनांक 16.05.2016 को विभागीय कार्यवाही का पैरावाईज जबाब पेश किया था, परन्तु अप्रार्थी द्वारा राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आकर विभागीय कार्यवाही का आदेश मेरे विरूद्ध गलत पारित किया गया है। उक्त आदेश विधि सम्मत न होने से खारिज योग्य है। अपीलांट ने कारण बताओ नोटिस क्रमांक 32 दिनांक 10.05.2016 के संबंध में कुल पैरा 6 का जबाब अपीलांट द्वारा दिया गया था । प्रथम पेरा में पोस मशीन से वितरण नही करना बताया गया था जिसमें जबाब पेश कर लिखा कि डाटा खत्म हो गया था तथा उक्त डाटा कागज रोल गांव में नही मिलता है तथा उपभोक्ताओ की भीड होने से तहसील में नही जा सका था जिस कारण रजिस्टर में उपभोक्ताओ को बांटा गया केरोसीन का इन्द्राज किया गया था। पेरा संख्या 2 में प्राधिकार पत्र व नक्शे की मासिक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। अपीलांट जल्दबाजी में गॉव से जालोर आया था इस कारण जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नही कर सका था। 36 लीटर केरोसीन कम होने की बात का जबाब था कि केरोसीन ड्रमो में रिसाव होने के कारण तेल जमीन पर बह गया था तमाम कारणो का जबाब अपीलांट द्वारा दिया गया था। विधि सम्मत जबाब होने के उपरान्त जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध गलत तरीके से

जिला कलेक्टर,जालोर

विभागीय कार्यवाही का आदेश किया गया है जो खारिज योग्य है। दिनांक 01.02.2016 को गॉव के बाबुलाल, जयराम, बाबुलाल पुत्र विरदीचन्द्र द्वारा एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर जालोर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राशन डीलर द्वारा अनियमितताऐ की जा रही है, जिसकी जांच कराई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ बाबुलाल, जयराम, हीराराम, लालाराम, तेजाराम, खंगाराराम, खेमाराम, रिडमलराम, उकाराम, बाबुलाल, विरदीचन्द द्वारा शपथ पत्र पेश किये है उक्त तमाम शपथ पत्रो में एक ही जगह से कम्प्यूटर से लिखे गये है तथा पेरा संख्या 3 से लगायत 10 तक एक ही पेरो मे लिखावट की हुई है। इनके द्वारा गलत शिकायत की गई थी तथा इन्हे काला बाजारी में तेल चाहिए जिस कारण मुझ राशन डीलर द्वारा तेल व अन्य खाधान्न सामग्री नही दी गई थी जिस कारण उनके द्वारा अपीलांट की झूठी शिकायत पेश की गई थी। मेरे द्वारा उपभोक्ताओ को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है तथा मै समय अनुसार राशन डीलर की दुकान पर बैठता हूँ। नाजायज फायदा उठाने की नियत से झुठी शिकायत करवाकर तथा विभागीय कार्यवाही करवाकर गलत तरीके से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया आदेश गलत होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच द्वारा 26.05.2016 को जिला रसद अधिकारी जालोर को एक पत्र पेश कर राशन डीलर रामलाल की डीलरशीप बहाल करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।गॉव के तमाम वाडों ने लिखकर किया कि राशन डीलर रामलाल का वितरण व्यवस्था सही है उनकी वितरण व्यवस्था बहाल की जावे।

अपील में यह भी लिखा गया कि जिला रसद अधिकारी कार्यालय में दिनांक 26.12.2016 को उपस्थित हुआ तो बताया गया कि अगली पेशी पर आपको टेलिफोन से बता दिया जायेगा। दिनांक 04.01.2019 को ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण में मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय दिनांक 26.12.2016 को हो गया तब निर्णय की नकल प्राप्त करके अपील प्रस्तुत की गई जो अन्दर म्याद है। फिर भी धारा 5 का शपथ पत्र अलग से संलग्न है।

उक्त अपील पर जिला रसद अधिकारी, जालोर से रिकार्ड प्राप्त किया जाकर अवलोकन किया गया। पत्रावली अनुसार तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्रामवासी भादरूणी तहसील साचौर द्वारा राशन डिलर श्री रामलाल पुत्र छोगाराम विश्नोई निवासी भादरूणा द्वारा राशन सामग्री वितरण सही तरीके से नही करने बाबत शिकायत पत्र जिला कलेक्टर जालोर को दिनांक 01.02.2016 को पेश किया। शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यो की जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सांचोर से जांच करवाई गई। जिसकी जांच प्रवर्तन निरीक्षक सांचोर द्वारा दिनांक 22.04.2016 को मौके पर जाकर की गई तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 27.04.2016 को पेश की गई। जांच प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं के मध्यनजर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.04.2016 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.2016 को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर 6 बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया। नोटिस में वर्णित अनुसार पाई गई अनयमितता तथा उनका जवाब सार रूप में इस प्रकार है-

1. निरीक्षण के दौरान 360 लीटर केरासीन का वितरण पोस मशीन द्वारा करना बताया लेकिन मौके पर प्रति पेश नहीं की इस पर अपीलान्ट ने प्रत्युत्तर में लिखा कि पोस मशीन का डाटा (कागज रोल) खत्म हो गया तथा कागज रोल गांव में नहीं मिलता। रिकार्ड में उपलब्ध रसद अधिकारी की टिप्पणी अनुसार राशन सामग्री वितरण से पूर्व पोस मशीन कागज रोल की व्यवस्था राशन डीलर को करनी आवश्यक है।

2. वक्त जांच प्राधिकार पत्र एवं मासिक नक्शे की प्रति पेश नहीं की गई इस पर अपीलान्ट ने प्रत्युत्तर में यह लिखा कि दुकान पर जल्दबाजी में आने से प्राधिकार पत्र व मासिक नक्शा लाना भूल गया। रसद अधिकारी ने व्यक्त किया कि उक्त दस्तावेज विक्रय स्थल पर रखा जाना नियमानुसार आवश्यक है।

3. भौतिक सत्यापन करने पर 36 लीटर केरासीन कम पाया गया तो राशनकार्ड में बिक्री का इन्द्राज स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा है- इस पर अपीलांट ने प्रत्युत्तर में लिखा कि केरोसीन ड्रमों में लीकेज के कारण कम हो गया। यदि किसी राशन कार्ड में इन्द्राज रह गया हो तो भीड़भाड के कारण ही ऐसा हुआ। जिला रसद अधिकारी जालोर ने व्यक्त किया कि नियमानुसार राशन डीलर को केरोसीन वितरण की प्रविष्टि राशन कार्ड पर करनी अनिवार्य है।

4. निरीक्षण के दौरान सामग्री का नियमित रूप से वितरण नहीं बताया गया- इस प्रत्युत्तर में लिखा कि सामग्री का नियमित भुगतान किया जा रहा हें भीडभाड ज्यादा होने से सभी को एक साथ वितरण संभव नहीं है।

5. दुकान पर स्टॉक बोर्ड एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं पाया गया- इस पर प्रत्युत्तर यह लिखा कि यह मानवीय भूल है। जिला रसद अधिकारी जालोर ने स्पष्ट किया कि मूल्य स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड डीलर को प्रतिदिन संधारित करना होता है।

6. जांच के दौरान उपभोक्ता द्वारा डीलर का व्यवहार सहीं नहीं होना बताया गया- इस पर प्रत्युत्तर यह लिखा गया कि अपीलांट का व्यवहार सहीं है मगर कुछ असामाजिक तत्व मुझा डीलर पर दबाव बनाकर राशन सामग्री कालाबाजारी में लेना चाहते है जो नहीं देने पर झूठी शिकायते करते है।

पत्रावली के अवलोकन, बहस पर मनन उपरान्त निष्कर्श यह है कि शपथ पत्रों के साथ प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। जांच में डीलर द्वारा कई अनियमितताएं करना प्रमाणित हुआ है। जिस पर प्रथमत: दिनांक 28.04.2016 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा दिनांक 10.05. 2016 को नोटिस दिया जाकर दिनांक 16.05.2016 को जवाब प्राप्त किया। दिनांक 26.12.2016 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जवाब में अनयमितता बाबत सन्तुष्टिप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ बल्की महज खाना-पूर्ति हेतु अतार्किक जवाब पेश किये गये है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा यह तर्क दिया गया कि दिनांक 26.12.2016 के निर्णय की जानकारी 04.01.2019 को कार्यालय में विभागीय कार्यवाही के बारे में जानकारी लेने पर पता चला। अपीलांट द्वारा यह कथन बिना किसी आधार के लिखा गया है तथा अपील 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से दायर करने का भी कोई ठोस कारण मौजुद नहीं है।

उक्त अनियमितताओं के अलावा पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक साचोर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार डीलर रामलाल द्वारा माह मार्च 2016 की चीनी वितरण रजिस्टर अनुसार 1 किलो प्रति युनिट से वितरण करना दर्ज है,जबकि माह मार्च 2016 में 1.500 किलो प्रति यूनिट चीनी देय थी,केरोसीन बिक्री रजिस्टर पृष्ठसंख्या 32 पर पूरे पृष्ठ पर कम संख्या लगाकर 04 लीटर बिक्री 70/रूपये में दर्ज कर रखी गई।जबकि उपभोक्ता का नाम राशन कार्ड संख्या व हस्ताक्षर दर्ज नही है इसी प्रकार गेहूँ वितरण रजिस्टर के कई प्रतिस्टिया का इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशन कार्ड इन्द्राज से मिलान नही हो रहा है कई जगह इन्द्राज के काट छाट है भौतिक सत्यापन पर केरोसीन का स्टोक 36 लीटर कम होने, प्राधिकार पत्र नक्शे की प्रति पेश नही करना, वितरण रजिस्टरो का सही संधारण नही करना पाया गया। तद्नुसार डिलर रामलाल द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के खण्ड 6, 20 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 8, 10, 15 व 17(ग) का उल्लघन करना पाया गया।इस प्रकार डिलर के स्तर पर बरती गई अनियमितता के लिए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

उक्त प्रकरण में डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर द्वारा अनियमितता की जाना पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के अर्न्तगत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 2, 5, 6, 8, 10, 15 व 17(ग) का उल्लंघन करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। साथ ही बिना किसी ठोस कारण के उक्त अपील 2 वर्ष के अधिक विलम्ब से दायर की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: